न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथराम आर.ए.एस.

राजस्व विविध सं. :- 121/2012

प्रार्थी ब नाम विप्रार्थीगण

1. मुकेश कुमार पुत्र जय प्रकाश
2. सुनील कुमार पुत्र राजेन्द्रकुमार

जाति अग्रवाल नि. बालोतरा

1. पवन 2. अरविन्द पुत्रान रामजीवन जाति अग्रवाल
3. रामजीवन पुत्र भगवानदास जाति अग्रवाल

नि. बालोतरा हाल सूरत (गुजरात)

4. भुमिधारक तहसीलदार पचपदरा

प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए

उपस्थित :-

1. श्री अचलाराम थोरी विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से -
2. श्री लादुराम चौधरी विद्वान अधिवक्ता, विप्रार्थीगण की ओर से -

आदेश दिनांक 31-10-17

प्रार्थी ने न्यायालय में वर्तमान प्रकरण इस आशय का पेश किया कि, सरहद मौजा तेमावास की राजस्व सीमा में खेत खसरा सं. 3 मूल रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा प्रार्थीगण के खातेदारी के है, प्रार्थीगण की उक्त कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि के बदिशा दक्षिण-पश्चिम मे खसरा सं. 04 एंव उसके तरमीमी खसरान की भूमि आयी हुई है, विप्रार्थी सं. 01 ता 03 की नीयत हमेशा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त खातेदारी की वादग्रस्त भूमि के भाग पर अतिक्रमण स्वरूप अनुचित दखल/हस्तक्षेप के माध्यम से कब्जा करने की रही, इसी बदनियति से विप्रार्थीगण ने बार बार ऐसी हरकतें की तब प्रार्थीगण ने उपरोक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान भी करवाया, प्रार्थीगण की भूमि बालोतरा नगर के औद्योगिक क्षेत्र के नजदीक आ जाने से भूमि कीमती है, इस वजह से विप्रार्थीगण की नीयत में फर्क आ गया, इसी बदनियती से अपने विधिक हिस्से की भूमि के अलावा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि पर अवैध व अनुचित तरीके से दखल/हस्तक्षेप करना चाहते हैं, वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है, जिस पर बिना कानूनी जानकारी के अभाव में उक्त भूमियों पर बिना भूमिधारक की लिखित अनुमति के चारदीवारी का निर्माण कर दिया, इस कारण प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 90 ए. का मुकदमा दर्ज हुआ, ताबाद आवश्यक कार्यवाही भूमि खसरा सं. 3 की सीमा निश्चित कर भूमि खसरा सं. 3 में हम प्रार्थीगण के द्वारा बनायी गयी बिना अनुमति की दीवार को हटाया, मौके पर उक्त भूमि खुली हो गयी, इस वजह से विप्रार्थीगण ने अवैध अतिक्रमण करने के इरादे से उक्त खेत की सीमा के चिन्हों को नष्ट कर अतिक्रमण हेतु उतारू हुए, ऐसी विषम परिस्थितियों में विप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद पेश किया, मूल वाद के विचाराधीन रहते विप्रार्थीगण अपनी प्रास्थिति का दुरूपयोग कर मनमानी तरह पर प्रार्थीगण के विधि पूर्ण कब्जा खातेदारी की भूमि में दखल करते हैं तो प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन मुद्रा में करना संभव नही होगा ।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया, जिस पर विप्रार्थी सं. 01 ता 03 ने लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि, खसरा सं. 3 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा मौके पर अवश्य ही आयी हुई है, खातेदार कौन है, पता नहीं, क्योंकि विप्रार्थीगण का कोई पडौस खसरा सं. 03 से नहीं लगता है । विप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया, प्रार्थीगण के द्वारा विप्रार्थीगण की उपस्थिति में कभी सीमाज्ञान नहीं करवाया, विप्रार्थीगण की नीयत कभी भी अतिचार करने की नहीं रही, गलत तथ्यों का वाद पेश किया है, विप्रार्थीगण को गलत पक्षकार बना कर तथ्यहीन आधारों का प्रकरण प्रस्तुत किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है ।

हमने उभय पक्षों के उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस को सुना, पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात मौका रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया ।

वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण भूमि के खातेदार टीनेन्ट है और यदि दौराने दावा विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में दखल/हस्तक्षेप, बाधा या अवरोध या प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में कोई रूकावट पैदा करते है, तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि के उपयोग, उपभोग से वंचित रह जायेंगे, जिससे प्रार्थीगण को असुविधा होगी । वाद पत्र प्रथम दृष्टिया काबिल डिक्री के हैं, इस प्रकार दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के सभी आधार प्रार्थीगण के हक पक्ष में एक साथ पूर्ण होते है, दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से विप्रार्थीगण को कोई असुविधा या क्षति नहीं होगी । अलावा इसके जिस रोज प्रकरण प्रस्तुत हुआ, उसी दिन से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रभावी रहीं है ।

वकील विप्रार्थीगण ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन अध्ययन करने से यह तथ्य सामने आया कि प्रार्थीगण ने खसरा सं. 03 मौजा तेमावास के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है, राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थीगण उक्त खसरे के रेकर्डेड खातेदार है, विप्रार्थीगण का कोई हिस्सा उक्त भूमि के रेकर्ड में दर्ज होना नहीं पाया जाता है, विधि अनुसार खातेदार टीनेन्ट को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार हैं यदि खातेदार टीनेन्ट के द्वारा उसके खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग में किसी अन्य के द्वारा दखल/हस्तक्षेप किया जाता है, तो उसे असुविधा होने तथा अपूर्णीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार होने से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टिया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तथा साम्या का पवित्र सिद्धान्त प्रार्थीगण के हक पक्ष में पाये जाते है ।

बाद गौर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दौराने दावा विप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं, कि सरहद मौजा तेमावास में अवस्थित कृषि भूमि खसरा सं. 03 में प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में कोई दखल/हस्तक्षेप, बाधा या अवरोध कारित नहीं करें और न वादग्रस्त भूमि में प्रवेश करने की कोई चेष्टा ही करें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें

आदेश आज तारीख ...31-10-2017... को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथराम)
सहायक कलक्टर (S.D.O.),
बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा